सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 577/2022
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः– 88/53 आरटीए

धर्मपाल पुत्र स्व. श्री देवीलाल जाति नाई निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)

............वादी

बनाम्

1–शंकरलाल पुत्र स्व. श्री सुलतानराम
2– अमर सिहं पुत्र स्व. श्री रजीराम
3–जसवन्त सिहं पुत्र स्व. श्री रजीराम
4–शेर सिहं पुत्र स्व. श्री रजीराम
5–अनिल कुमार पुत्र स्व. श्री आत्माराम
6–सुनील कुमार पुत्र स्व. श्री आत्माराम
7–कमला पत्नि स्व. श्री आत्माराम
8– सरोज पुत्री स्व. श्री आत्माराम
9–अलका पुत्री स्व. श्री आत्माराम
10–करूणा पुत्री स्व. श्री आत्माराम

समस्त जाति नाई निवासीगण रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

11–तहसीलदार (राजस्व) संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री सुभाष सैन अधिवक्ता – वादी
2. श्री अमरसिह मण्डोरा अधिवक्ता–प्रतिवादी संख्या 1 ता 10

आदेश                                        दिनांक :–18.01.2023

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार वही है जो कि वाद शीर्षक में अंकित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 आपस में एक संयुक्त हिन्दू परिवार से सम्बन्धित रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वादी के रिश्ते में चाचा के लडके व प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 चाचा के मृतक पुत्र आत्माराम पुत्र श्री रजीराम के विधिक उतराधिकारी है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 का हिन्दू मान्यताओं में पूर्ण विश्वास है। इसलिये सभी हिन्दू विधि से भाासित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से एकल खाता तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के संयुक्त खाता की पैतृक कृषि भूमि एक दूसरे के साथ चिपते एक ही स्थान पर चक नं. 12 एसबीएन पटवार हल्का नगराना में तीन अलग अलग खातों में तथा प्रत्येक खाता में 0.506 हैक्ट बारानी किस्म की कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी की कृषि भूमि उक्त चक नं. 12 एसबीएन जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 54/32 एकल खाता वादी धर्मपाल कुल क्षैत्रफल 0.506 हैक्ट बारानी1 तथा प्रतिवादी संख्या 1 के एकल खाता की कृषि भूमि चक नं. 12 एसबीएन जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 131/75 खाता भांकरलाल कुल क्षैत्रफल 0.506 हैक्ट बारानी1 तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के संयुक्त खाता की कृषि भूमि चक नं. 12 एसबीएन जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 179/16 खाता अनिल कुमार आदि में प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 प्रत्येक का 1/24 हिस्सा कुल क्षैत्रफल 0.506 हैक्ट बारानी1 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिसका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से है :–

(अ) चक नं. 12 एसबीएन खाता संख्या 54/32 खाता धर्मपाल

| पं.नं. | मु.नं. | किला नं. |
|---|---|---|
| 182/198 | 27 | 16/0.253 हैक्ट बारानी1 |
| 182/199 | 28 | 6/0.253 हैक्ट बारानी1 |

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कुल क्षैत्रफल 0.506 हैक्ट बारानी1

(ब) चक नं. 12 एसबीएन खाता संख्या 131/75 खाता भांकरलाल

| पं.नं. | मु.नं. | किला नं. |
|---|---|---|
| 182/198 | 27 | 25/0.253 हैक्ट बारानी1 |
| 182/199 | 28 | 5/1/0.228 हैक्ट बारानी1 |
| | | 5/2/0.0250 हैक्ट गैर मु. रास्ता |

कुल क्षैत्रफल 0.506 हैक्ट, बारानी 1 0.481 हैक्ट, गैर मु. रास्ता 0.025 हैक्ट

(स) चक नं. 12 एसबीएन खाता संख्या 179/16 खाता अनिल कुमार आदि

| पं.नं. | मु.नं. | किला नं. |
|---|---|---|
| 182/199 | 28 | 15/0.253 हैक्ट बारानी1 |
| | | 16/0.253 हैक्ट बारानी1 |

कुल क्षैत्रफल 0.506 हैक्ट बारानी1

उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दीयों की प्रमाणित ई हस्ताक्षरित प्रतियां संलग्न वाद पत्र है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के हक व आधिपत्य की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि चक नं. 12 एसबीएन पटवार हल्का नगराना में स्थित है। जो आपस में एक दूसरे के साथ चीपते है तथा उक्त कृषि भूमि की किस्म बारानी है तथा समान कीमत है, लेकिन पूर्व में वादी एवं प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि का विभाजन रास्ता व भूमि के एकीकरण को ध्यान में रखते हुए नहीं करने से उन्हें अपनी अपनी कृषि भूमि रास्ता आम से आने जाने व कृषि कार्य करने में भारी परेशानी व असुविधा हो रही है इसलिये वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने काफी समय पूर्व पारिवारिक समझौता करके उक्त कृषि भूमि का मौखिक घरू विभाजन करके आपस में समान क्षैत्रफल का तबादला कर रखा है तथा इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 लम्बे समय से अपने हक व हिस्सा में आई कृषि भूमि पर बिना किसी विवाद के काबिज होकर काश्त कर रहे है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 को मौखिक घरू विभाजन एवं तबादला में मिली हुई कृषि भूमि का पूर्ण विवरण इस प्रकार से है:–

(क) वादी धर्मपाल पुत्र देवीलाल जाति नाई निवासी रतनपुरा के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :–

(अ) चक नं. 12 एसबीएन खाता संख्या 54/32 खाता धर्मपाल

| पं.नं. | मु.नं. | किला नं. |
|---|---|---|
| 182/199 | 28 | 6/1/0.228 हैक्ट बारानी1 पूर्वी पासा |

(ब) चक नं. 12 एसबीएन खाता संख्या 131/75 खाता भांकरलाल

| पं.नं. | मु.नं. | किला नं. |
|---|---|---|
| 182/199 | 28 | 5/1/0.2030 हैक्ट बारानी1 पूर्वी पासा |
| | | 5/2/0.0250 हैक्ट गैर मु. रास्ता |

(स) चक नं. 12 एसबीएन खाता संख्या 179/16 खाता अनिल कुमार आदि

| पं.नं. | मु.नं. | किला नं. |
|---|---|---|
| 182/199 | 28 | 15/1/0.0500 हैक्ट बारानी1 उतरी पूर्वी पासा |

कुल क्षैत्रफल 0.5060 हैक्ट, बारानी1 0.4810 हैक्ट गैर मु.रास्ता 0.025 हैक्ट

(ख) प्रतिवादी संख्या 01 भांकरलाल पुत्र सुलतानराम जाति नाई निवासी रतनपुरा के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :–

(अ) चक नं. 12 एसबीएन खाता संख्या 131/75 खाता भांकरलाल

| पं.नं. | मु.नं. | किला नं. |
|---|---|---|
| 182/198 | 27 | 25/0.253 हैक्ट बारानी1 |

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(ब) चक नं. 12 एसबीएन खाता संख्या 54/32 खाता धर्मपाल

| पं.नं. | मु.नं. | किला नं. |
|---|---|---|
| 182/198 | 27 | 16/0.253 हैक्ट बारानी1 |

कुल क्षैत्रफल 0.506 हैक्ट बारानी1

(ग) प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 अमर सिहं, जसवन्त सिहं, भोर सिहं पुत्रगण रजीराम प्रत्येक 1/4 हिस्सा, अनिल कुमार, सुनील कुमार पुत्रगण आत्माराम, कमला पत्नि आत्माराम, सरोज, अल्का, करूणा पुत्रीयां आत्माराम प्रत्येक 1/24 हिस्सा समस्त जाति नाई निवासीगण रतनपुरा के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :–

(अ) चक नं. 12 एसबीएन खाता संख्या 179/16 खाता अनिल कुमार आदि

| पं.नं. | मु.नं. | किला नं. |
|---|---|---|
| 182/199 | 28 | 15/2/0.2030 हैक्ट बारानी1 दक्षिणी पश्चिमी पासा |
| | | 16/0.253 हैक्ट बारानी1 |

(ब) चक नं. 12 एसबीएन खाता संख्या 54/32 खाता धर्मपाल

| पं.नं. | मु.नं. | किला नं. |
|---|---|---|
| 182/199 | 28 | 6/2/0.0250 हैक्ट बारानी1 पश्चिमी पासा |

(स) चक नं. 12 एसबीएन खाता संख्या 131/75 खाता भांकरलाल

| पं.नं. | मु.नं. | किला नं. |
|---|---|---|
| 182/199 | 28 | 5/3/0.0250 हैक्ट बारानी1 पश्चिमी पासा |

कुल क्षैत्रफल 0.5060 हैक्ट बारानी1

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 उक्त बंटवारा के रोज से ही वाद पत्र की चरण संख्या 3 (क) (ख) (ग) में वर्णितानुसार कृषि भूमि पर काबिज रह कर काश्त करते आ रहे व उक्त कृषि भूमि की कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है परन्तु वाटरमेन्ट भुल्क माली रकम आदि राज्य सरकार को अदा करने मे अनेकों कठीनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा सिवबंट को लेकर भी आपस में लड़ाई झगड़े का अन्देशा रहता है इस कारण वादीगण ने प्रतिवादीगण से वाद पत्र की चरण संख्या 3 (क) (ख) (ग) के अनुसार वादीगण का खाता अलग कायम करवाकर देने का प्रतिवादीगण से निवेदन किया तो पहले तो प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे लेकिन बाद में ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार हो गये बस यही वाद कारण है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के नाम कृषि भूमि दर्ज होने के कारण तथा प्रतिवादी संख्या 11 को भू–धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है प्रतिवादी संख्या 11 के विरूद्व सीधे रूप से काई अनुतोष नही चाहा गया है।वाद पत्र माननीय न्यायायल के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय भुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद वादी प्रस्तुत कर वाद वहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि मे से वाद पत्र की चरण संख्या 4(क)(ख)(ग) के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 को खातेदार काश्त घोषित कर खाता विभाजन कर रकम राज अलग से कायम किया जावे तथा इसी हद तक उपरोक्त चकों की उक्त भूमि से हिस्सा कम किया जाने का निवेदन किया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सख्ंया 1 ता 10 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत किया। जिसका वादी ने कोई विरोध नहीं किया गया। जो भाामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से जवाब दावा पेश हुआ जो भाामिल पत्रावली किया गया। साक्ष्य वादी में वादी धर्मपाल की ओर से आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी संख्या 1 शंकर लाल एवं प्रतिवादी संख्या 6 सुनील कुमार की ओर से आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी एवं प्रतिवादी ओर साक्ष्य पेश नही करना चाहते है इसलिए साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादी बन्द किया गया।

वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से तनकीयात कायम नही की गई व बहस वकील वादी एवं प्रतिवादीगण सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 सह–काश्तकार है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 घरू बंटवारा में अच्छी मंदी के अनुसार बंटवारा कर वाद पत्र की चरण संख्या 4 क,ख,ग अनुसार कृषि भूमि प्राप्त कर रहे है। वाद पत्र का कोई विरोध नही है। अतः वादी का वाद पत्र मुताबिक अनुतोश डिक्री किया जाकर पक्षकारो का राजस्व रिकार्ड में खाता अलग–कायम कर रकमराज अलग कायम करने का आदेश देवे। प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के अधिवक्ता ने जवाब दावा अनुसार वाद पत्र डिक्री करने पर सहमति दौराने बहस दी।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी चक 12 एसबीएन खाता संख्या 54/32 खाता धर्मपाल व खाता संख्या 131/75 खाता शंकर लाल वगैरा एवं खाता संख्या 179/16 खाता अनिल कुमार वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के नाम से सांझा खाता में वादग्रस्त आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रश्नगत आराजी पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 घरू बंटवारे के मुताबिक काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने वादी के वाद पत्र को स्वीकार करते हुए जवाब दावा मय प्रतिदावा पेश किया है। वाद पत्र का कोई विरोध नही है। मुताबिक वाद पत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 खाता विभाजन के अधिकारी है। वाद की दफा 4 ( क से ग) घरू बंटवारा के मुताबिक खाता अलग कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

## क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री किया जाता हैः–

<u>(क) वादी धर्मपाल पुत्र देवीलाल जाति नाई निवासी रतनपुरा के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :–</u>

(अ) चक नं. 12 एसबीएन खाता संख्या 54/32 खाता धर्मपाल

| पं.नं. | मु.नं. | किला नं. |
|---|---|---|
| 182/199 | 28 | 6/1/0.228 हैक्ट बारानी1 पूर्वी पासा |

(ब) चक नं. 12 एसबीएन खाता संख्या 131/75 खाता भांकरलाल

| पं.नं. | मु.नं. | किला नं. |
|---|---|---|
| 182/199 | 28 | 5/1/0.2030 हैक्ट बारानी1 पूर्वी पासा |
| | | 5/2/0.0250 हैक्ट गैर मु. रास्ता |

(स) चक नं. 12 एसबीएन खाता संख्या 179/16 खाता अनिल कुमार आदि

| पं.नं. | मु.नं. | किला नं. |
|---|---|---|
| 182/199 | 28 | 15/1/0.0500 हैक्ट बारानी1 उतरी पूर्वी पासा |

कुल क्षैत्रफल 0.5060 हैक्ट, बारानी1 0.4810 हैक्ट गैर मु.रास्ता 0.025 हैक्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>(ख) प्रतिवादी संख्या 01 भांकरलाल पुत्र सुलतानराम जाति नाई निवासी रतनपुरा के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :–</u>

(अ) चक नं. 12 एसबीएन खाता संख्या 131/75 खाता भांकरलाल

| पं.नं. | मु.नं. | किला नं. |
|---|---|---|

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

182/198 27 25/0.253 हैक्ट बारानी1

(ब) चक नं. 12 एसबीएन खाता संख्या 54/32 खाता धर्मपाल

| पं.नं. | मु.नं. | किला नं. |
|---|---|---|
| 182/198 | 27 | 16/0.253 हैक्ट बारानी1 |
| | | कुल क्षैत्रफल 0.506 हैक्ट बारानी1 |

(ग) <u>प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 अमर सिहं, जसवन्त सिहं, भोर सिहं पुत्रगण रजीराम प्रत्येक 1/4 हिस्सा, अनिल कुमार, सुनील कुमार पुत्रगण आत्माराम, कमला पत्नि आत्माराम, सरोज, अल्का, करूणा पुत्रीयां आत्माराम प्रत्येक 1/24 हिस्सा समस्त जाति नाई निवासीगण रतनपुरा के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :—</u>

(अ) चक नं. 12 एसबीएन खाता संख्या 179/16 खाता अनिल कुमार आदि

| पं.नं. | मु.नं. | किला नं. |
|---|---|---|
| 182/199 | 28 | 15/2/0.2030 हैक्ट बारानी1 दक्षिणी पश्चिमी पासा |
| | | 16/0.253 हैक्ट बारानी1 |

(ब) चक नं. 12 एसबीएन खाता संख्या 54/32 खाता धर्मपाल

| पं.नं. | मु.नं. | किला नं. |
|---|---|---|
| 182/199 | 28 | 6/2/0.0250 हैक्ट बारानी1 पश्चिमी पासा |

(स) चक नं. 12 एसबीएन खाता संख्या 131/75 खाता भांकरलाल

| पं.नं. | मु.नं. | किला नं. |
|---|---|---|
| 182/199 | 28 | 5/3/0.0250 हैक्ट बारानी1 पश्चिमी पासा |
| | | कुल क्षैत्रफल 0.5060 हैक्ट बारानी1 |

उक्तनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता अलग कायम करने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निज..........×............मुब्लिक..........×............बाबत.........100/—............खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक...........×...........को अदा करे ।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 18.01.2023 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88/53 आरटीए
प्रकरण संख्याः– 577/2022

धर्मपाल पुत्र स्व. श्री देवीलाल जाति नाई निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)

...........वादी

बनाम्

1–शंकरलाल पुत्र स्व. श्री सुलतानराम
2– अमर सिहं पुत्र स्व. श्री रजीराम
3–जसवन्त सिहं पुत्र स्व. श्री रजीराम
4–शेर सिहं पुत्र स्व. श्री रजीराम
5–अनिल कुमार पुत्र स्व. श्री आत्माराम
6–सुनील कुमार पुत्र स्व. श्री आत्माराम
7–कमला पत्नि स्व. श्री आत्माराम
8– सरोज पुत्री स्व. श्री आत्माराम
9–अलका पुत्री स्व. श्री आत्माराम
10–करूणा पुत्री स्व. श्री आत्माराम

समस्त जाति नाई
निवासीगण रतनपुरा
तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ
(राजस्थान)

11–तहसीलदार (राजस्व) संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाष सैन वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री अमर सिह मण्डोरा वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व निम्नानुसार डिक्री दी जाती हैः–

<u>(क) वादी धर्मपाल पुत्र देवीलाल जाति नाई निवासी रतनपुरा के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :–</u>

(अ) चक नं. 12 एसबीएन खाता संख्या 54/32 खाता धर्मपाल

| पं.नं. | मु.नं. | किला नं. |
|---|---|---|
| 182/199 | 28 | 6/1/0.228 हैक्ट बारानी1 पूर्वी पासा |

(ब) चक नं. 12 एसबीएन खाता संख्या 131/75 खाता भांकरलाल

| पं.नं. | मु.नं. | किला नं. |
|---|---|---|
| 182/199 | 28 | 5/1/0.2030 हैक्ट बारानी1 पूर्वी पासा |
| | | 5/2/0.0250 हैक्ट गैर मु. रास्ता |

(स) चक नं. 12 एसबीएन खाता संख्या 179/16 खाता अनिल कुमार आदि

| पं.नं. | मु.नं. | किला नं. |
|---|---|---|
| 182/199 | 28 | 15/1/0.0500 हैक्ट बारानी1 उतरी पूर्वी पासा |

कुल क्षैत्रफल 0.5060 हैक्ट, बारानी1 0.4810 हैक्ट गैर मु.रास्ता 0.025 हैक्ट

<u>(ख) प्रतिवादी संख्या 01 भांकरलाल पुत्र सुलतानराम जाति नाई निवासी रतनपुरा के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :–</u>

(अ) चक नं. 12 एसबीएन खाता संख्या 131/75 खाता भांकरलाल

| पं.नं. | मु.नं. | किला नं. |
|---|---|---|
| 182/198 | 27 | 25/0.253 हैक्ट बारानी1 |

(ब) चक नं. 12 एसबीएन खाता संख्या 54/32 खाता धर्मपाल

| पं.नं. | मु.नं. | किला नं. |
|---|---|---|
| 182/198 | 27 | 16/0.253 हैक्ट बारानी1 |

कुल क्षैत्रफल 0.506 हैक्ट बारानी1

(ग) प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 अमर सिहं, जसवन्त सिहं, भोर सिहं पुत्रगण रजीराम प्रत्येक 1/4 हिस्सा, अनिल कुमार, सुनील कुमार पुत्रगण आत्माराम, कमला पत्नि आत्माराम, सरोज, अल्का, करूणा पुत्रीयां आत्माराम प्रत्येक 1/24 हिस्सा समस्त जाति नाई निवासीगण रतनपुरा के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :—

(अ) चक नं. 12 एसबीएन खाता संख्या 179/16 खाता अनिल कुमार आदि

| पं.नं. | मु.नं. | किला नं. |
|---|---|---|
| 182/199 | 28 | 15/2/0.2030 हैक्ट बारानी1 दक्षिणी पश्चिमी पासा |
| | | 16/0.253 हैक्ट बारानी1 |

(ब) चक नं. 12 एसबीएन खाता संख्या 54/32 खाता धर्मपाल

| पं.नं. | मु.नं. | किला नं. |
|---|---|---|
| 182/199 | 28 | 6/2/0.0250 हैक्ट बारानी1 पश्चिमी पासा |

(स) चक नं. 12 एसबीएन खाता संख्या 131/75 खाता भांकरलाल

| पं.नं. | मु.नं. | किला नं. |
|---|---|---|
| 182/199 | 28 | 5/3/0.0250 हैक्ट बारानी1 पश्चिमी पासा |
| | | कुल क्षेत्रफल 0.5060 हैक्ट बारानी1 |

उक्तनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता अलग कायम करने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

नोट :— यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज......×........नल......×........मुब्लिक......×........निल.......×........बाबत्.......×.......निल....100/—.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक............अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 18.01.2023 को जारी किया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official